राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3232/2023

गायत्री शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.12.2023
आदेश की दिनांक : 08.12.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.एन.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को बकाया वेतन का भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 27.06.2023 के विरूद्ध चुनौती देते हुए अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1879/2023 गायत्री शर्मा व राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत की गई थी, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा दिनांक 01.08.2023 को उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया था और आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि अपीलार्थी वहीं कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन आदि

का भुगतान नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिला है। अपीलार्थी ने वेतन भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में दिनांक 03.08.2023 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई निराकरण नहीं किया गया। इस प्रकार राजकीय सेवाएं देने के उपरांत भी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतन भुगतान नहीं किया जाना राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को बकाया वेतन का भुगतान किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर यूपीएसी शॉपिंग सेंटर, कोटा में कार्यरत है। अनुलग्नक–2 के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 01.08.2023 को आदेश दिनांक 27.06.2023 की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को नोटिसेज जारी किए गए थे और अपीलार्थी को चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व जहां कार्यरत था, वहीं कार्यरत रखे जाने का आदेश भी दिया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और जहां तक अपीलार्थी को उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण दिनांक से वेतन भुगतान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी ने अधिकरण के उक्त आदेश की पालना में जिस तिथी से कार्यग्रहण किया है, उसी तिथी से अपीलार्थी बकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अधिकरण के आदेश दिनांक 01.08.2023 की पालना में अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से नियमानुसार बकाया वेतन का भुगतान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य